ties, and adopt Lok Adalats, Nyaya Panchayats and other alternative and locally appropriate methods of dispute resolution.

Disposal of cases in Delhi High Court

4097. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 410 given in the Rajya Sabha on 25th February, 1997 and state:

(a) how many cases involving same and similar issues were grouped together, how many such cases have been listed before Delhi High Court for disposal and actually disposed off;

(b) as a result of amendment of rules relating to hearing of writ petitions for admission and final hearing by single benches, whether any cases have been finally disposed off;

(c) if so details therefor;

(d) in view of such a large number of cases pending, what other measures have actually been taken to clear these cases and with what results; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) to (e) The information is being collected from the Registry of Delhi High Court and will be laid on he Table of the House.

फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए धनराशि

†4098. डा. वाई. लक्ष्मी प्रसादः क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान फोटो पहचान पत्र तैयार करने के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) फोटो पहचान पत्र को तैयार करने से संबंधित कार्य को कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है ; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और उस धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा कितना खर्च वहन किए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय संत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) वर्ष, 1996-97 के दौरान फोटो पहचान पत्रों को तैयार करने के लिए दी गई विधि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए) ।

(ख) और (ग) फोटो पहचान-पत्र की स्कीम, एक जारी रहने वाली स्कीम है क्योंकि निर्वाचक नामावलियों में नामों को निरंतर जोड़ने हटाए जाने के कारण परिवर्तन होता रहता है । इसलिए, यह बताना साध्य नहीं है कि कितने समय के भीतर कार्य पूरा होगा या उस पर कुल कितनी रकम उपर्युक्त होने की संभावना है ।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान फोटो पहचान पत्रों को तैयार करने के लिए की गई विधि का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य सरकार का नाम	(रकम रुपयों में) वर्ष 1996-97 में जारी की गई रकम
1.	गुजरात	3,01,20,000
2.	नागालैंड	4,40,,000
3.	पांडिचेरी	2,36,000
4	सिक्किम	6,28,000
5.	पश्चिमी बंगाल	1,89,76,000
	योग :	5,00,00,000